

कार्यालय – उप जिलाधिकारी, द्वारादाट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, द्वारादाट

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रजा उद्घाट उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में मानवीय सदस्यों की स्वत्त्वातिप्राप्तान सार है।

- | | | |
|----|---|------------------------------|
| 1. | श्री. रमा शिंदे उप जिलाधिकारी | वरांगल अध्यक्ष। |
| 2. | श्री. विनोद शिंदे १००५ उप प्रभागीय वनाधिकारी | संहायक समाज कल्याण ओर्डर |
| 3. | श्री. चंद्रशेखर रामेश्वर मायक समाज कल्याण अधिकारी | विकास खण्ड- द्वाराहाट सदस्य। |
| 4. | श्री. रामेश्वर मायक सदस्य। | जिला- भरुडोडा |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति प्रस्तुत की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चमोली वन प्रभाग के ~~विकास एवं वन अन्तर्गत~~ अन्तर्गत के विकास खण्ड ~~द्वारा~~ में Row permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from पान गाँव से गगाल (Total Length 22.7 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.681 हेतु वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) के पक्ष में 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत बनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वेसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु में अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी (.....) **उमेश** वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधिक रूप से स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपर्खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसममति से परिक्षेत्र के अन्तर्गत वन प्रभाग के द्वारा रेजिस्ट्रेशन अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड इंटीक्यूट में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from प्रातः गाँव से ग्रामीण (Total Length- 22.7 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 6.681 हैं। वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर मुख्यार्थित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील..... /
प्रतिलिपि - जिलाधिकारी

संग्रहीत-

को सच्चनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष —
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

उप जिलाधिकारी, द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद **अल्मोड़ा** के विकास खण्डकाठ में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from **पान गाँव से गाँगाल**

(Total Length 22.7 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सौयम वनभूमि 0.681 है। वन भूमि को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पत्र सं 11-9 / 98-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2013 के द्वारा सड़क निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त रखा गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित/आंबटित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आंबटित 0.681 है। वन भूमि / बंजर कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


R.N.Grewal
राजस्थानीक
सेवा-द्वाराहाट(अल्मोड़ा)
/प्रयोक्ता
२१ तहसीलदार
७३१८
नाम तहसीलदार
द्वाराहाट

उप जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
द्वाराहाट /

For Vindhya Telelinks Ltd.
Vaibhav Shah
DOM Project